संख्या-474/2021/I/108354/2021/23-11099/2402/2020

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता विकास एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 21 अक्टूबर, 2021**

विषय:- जनपद मुजफ्फरनगर, जनपद मेरठ एवं जनपद गाजियाबाद में चौधरी चरण सिंह कांवड़ अपर गंग नहर की बाई पटरी मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (चैनेज 52.190 से 161.151 तक, लम्बाई 108.240 कि0मी0) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-4015बी0जी0/7बी0-मांग/2021-22, दिनांक 16-08-2021, पत्र सं0-2409बी0जी0/7बी0-मांग/2021-22, दिनांक 10-07-2021, पत्र सं0-2905बी0जी0/7बी0-मांग/2021-22, दिनांक 13-07-2021 एवं पत्र सं0-2906बी0जी0/7बी0-मांग/2021-22, दिनांक 13-07-2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मुजफ्फरनगर, जनपद मेरठ एवं जनपद गाजियाबाद में चौधरी चरण सिंह कांवड़ अपर गंग नहर की बाई पटरी मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (चैनेज 52.190 से 161.151 तक, लम्बाई 108.240 कि0मी0) की शासनादेश संख्या-110/2016/08(1)/23-11-2016-1/2(07)/2016, दिनांक 31-03-2016 द्वारा लागत रू0 16516.65 लाख (रूपये एक अरब पैसठ करोड़ सोलह लाख पैसठ हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-2-1602/दस-95-24(14)/1995, दिनांक 01-06-1995 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन प्रश्नगत कार्य की मूल लागत से अधिक स्वीकृत किए गये व्ययाधिक्य की धनराशि रू0 672.72 लाख (रू0 छः करोड़ बहत्तर लाख बहत्तर हजार मात्र) को सम्मिलित करते हुए कार्य की पुनरीक्षित कुल लागत रू0 17189.37 लाख (रूपये एक अरब इकहत्तर करोड़ नवासी लाख सैतीस हजार मात्र) की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन सहर्ष पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित स्वीकृत लागत
1	जनपद मुजफ्फरनगर, जनपद मेरठ एवं जनपद गाजियाबाद में चौधरी चरण सिंह कांवड़ अपर गंग नहर की बाई पटरी मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (चैनेज 52.190 से 161.151 तक, लम्बाई 108.240 कि0मी0)।	16516.65	17189.37

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(5) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(6) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25-01-2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक 1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट कर जमा की जायेगी।

(7) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(8) मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9) विभाग द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी, प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।
(10) प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।
2- उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-110/2016/08(1)/23-11-2016-1/2(07)/2016, दिनांक 31-03-2016 की शेष प्रतिबन्ध/शर्तें यथावत रहेंगी।
3- वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-03/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22-03-2021 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-8-1622/दस-2021-2022, दिनांक 20 अक्टूबर, 2021 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम्/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम्/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
6- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त व्यय (नियन्त्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
8- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
12- डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in